न्यायालय आर्बिट्रेटर, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर रेल परियोजना एवं संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री सी0आर0मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त, अजमेर)

परिवाद संख्या :–2020/00772/आर्बिटेशन/अजमेर

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया, जरिये प्रयोजना प्रबन्धक, सी–16, खुशी विहार, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर, जयपुर।

––प्रार्थी

बनाम

1. प्राधिकृत भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़।
2. श्री महेन्द्र सोनी पुत्र सुभाषचन्द सोनी निवासी छाजेड़ो का मोहल्ला धानमण्डी, पुराना शहर, किशनगढ जिला अजमेर।
3. दीपक सोनी पुत्र सुभाषचन्द सोनी निवासी छाजेड़ों का मोहल्ला धानमण्डी पुराना शहर, किशनगढ़ जिला अजमेर।

–––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 20एफ(6)संशोधित रेल्वे अधिनियम 2008 संशोधित अवार्ड दिनांक 23–4–2019

उपस्थितः–

1. श्री विभोर गौड़, अभिभाषक, प्रार्थी
2. श्री बी0एस0शेखावत अप्रार्थी संख्या–01

पंचाट/निर्णय

दिनांक :– 25–07–2023

परिवाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) किशनगढ के द्वारा मदनगंज किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ में स्थित भूमि अवाप्ति के बारे में अवार्ड दिनांक 28–3–2017 को पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है।

परिवाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के दोनों अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि किशनगढ़ रेल्वे स्टेशन तक पहुंचने हेतु एप्रोच रोड के निर्माण हेतु प्रार्थी द्वारा ग्राम फरासिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर में स्थित अन्य खसरो के साथ खसरा संख्या 84/2 का अधिसूचित रकबा 0.0813 हैक्टर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी अनुसार सही क्षेत्रफल 0.0809 हैक्टर होने से तदनुसार भूमि अर्जित की गई इस उल्लेखित अंतिम अभिनिर्णय दिनांक 28–3–2017 के पृष्ठांकन संख्या–1 पर विस्तृत रूप से वर्णित है एवं उक्त खसरा नम्बर 84/2 के उक्त वर्णित अर्जित क्षेत्रफल में से भूखण्ड संख्या 1 जो आवासीय प्रकृति का है, का संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार अधिग्रहित रकबा मात्र 0.00461728 हैक्टर अप्रार्थी के परिप्रेक्ष्य में अधिग्रहित किया गया। उपरोक्त पारित अवार्ड दिनांक 28–3–2017 के क्रम में अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के पिता श्री सुभाषचन्द सोनी की अवाप्तशुदा भूमि आवासीय भूमि का मुआवजा क्षतिपूर्ति राशि 100 प्रतिशत गणना सहित कुल मुआवजा 3,41,870/– रूपये अप्रार्थी संख्या–1 के द्वारा विधिक रूप से निर्धारित किया गया है।

उनका यह भी तर्क है कि अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा प्रार्थी को उपरोक्त अवार्ड के पश्चात दिनांक 20–9–2017 को पत्र जारी कर यह सूचित किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 अपने पिता सुभाषचन्द सोनी की मृत्यु हो जाने के कारण अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि अपने नाम से जारी करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने इस पत्र के माध्यम से प्रार्थी को यह भी सूचित किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के इस प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार किशनगढ से कराये जाने पर तहसीलदार किशनगढ से प्राप्त रिपोर्ट क्रमाक 4377 दिनांक 9–8–2017 के अनुसार स्व0 सुभाषचन्द सोनी की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी संतोष देवी व पुत्रियां लक्ष्मी, स्नेहलता व कृष्णा द्वारा मौजूदा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक में रजिस्टर्ड हकत्याग अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में किया जा चुका है इस आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 द्वारा मुआवजा भुगतान चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त पत्र दिनांक 20–9–2017 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ने यह भी सूचित किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने एक अन्य प्रार्थना पत्र दिनांक 8–9–2017 पेश कर अवाप्तशुदा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ नहीं होकर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि होने से आवासीय दर के स्थान पर मुआवजा व्यवसायिक दर से चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त पत्र दिनांक 20–9–2017 के क्रम में प्रार्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सम्पक कर अप्रार्थी संख्या 1 क समक्ष यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वांछित वाणिज्यक दर देय नहीं है उसके पश्चात भी पुनः दिनांक 26–12–2017 को अप्रार्थी संख्या 1 ने पत्र जारी कर मुआवजा वाणिज्यक दर से गणना अनसार अन्तर राशि 12,60,649/– रूपये बनने की जानकारी दी व यह सूचित किया कि अतः आप अपने स्तर पर पुनः परीक्षण कर मुआवजे की अन्तर राशि की स्वीकृति

प्रदान करावे जिससे प्रार्थीगण को मुआवजा राशि का भुगतान कर प्रकरण का निस्तारण किया जा सके। ''

उनका यह भी तर्क है कि उक्त पत्र दिनांक 12–4–2018 व 13–7–2018 जारी किये गये इस क्रम में प्रार्थी द्वारा लिखित पत्र दिनांक 5–9–2018 जारी कर अप्रार्थी संख्या 1 के इस कृत्य पर आपत्ति प्रस्तुत की इसके पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 1 ने विधि के विपरीत जाकर अविधिक रूप से दिनांक 7–3–2019 का पत्र जारी कर संशोधित अवार्ड अनुसार तय मुआवजा राशि अनुसार स्वीकृति जारी कर चैक तैयार कर भिजवाना सुनिश्चित करने का कथन किया जो कि क्षैत्राधिकारविहीन स्थिति थी। जिस पर प्राथी ने दिनांक 25–3–2019 को कुल क्षैत्रफल परिवर्तित होने की स्थिति में संयुक्त सर्वेक्षण कराये जाने की मांग की जिसे दरकिनार कर अप्रार्थी संख्या 1 ने अंतिम पत्र 23–4–2019 जारी कर अविधिक रूप से प्रार्थी को सूचित किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा संशोधित अवार्ड वाणिज्यक दर से 9,32,576/– का तैयार कर प्रार्थी को संलग्न कर भिजवाया जा रहा है। अतः प्रार्थी अवार्ड को अनुमोदन कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। इस पर प्रार्थी ने गंभीर लिखित आपत्ति दिनांक 17–8–2019 को अप्रार्थी संख्या 1 को प्रेषित कर प्रस्तुत की कि रेल अधिनियम की धारा 20एफ (8)(ए) के अनुसार भूमि का बाजार मूल्य इस अधिनियम की धारा 20ए की विज्ञप्ति जारी होते समय जो स्थिति राजस्व रेकार्ड में होती है उसी के अनुसार मुआवजा तय किया जाता है व अप्रार्थी संख्या 1 ने भी इसी स्थिति के अनुकूल दिनांक 28–3–2017 को अवार्ड पारित किया था। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम अधिकारी को एक बार अवार्ड पारित करने के पश्चात दुबारा उसी भूमि के बारे में द्वितीय अवार्ड पारित करने का अधिकार रेल अधिनियम में प्रावधित नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि संशोधित अवार्ड दिनांक 23–4–2019 द्वारा तय किया गया मुआवजा राशि 9,32,576/– जो मूल राशि 3,41,870/– रूपये को बढ़ा–चढ़ाकर बढ़ोतरी की है। यह कार्यवाही आदेश क्षेत्राधिकार विहीन आदेश है क्योंकि सुस्थापित विधि अनुसार अवाप्तिकरण अवार्ड पारित हो जाने के पश्चात अवाप्ति अधिकार अधिकारिक कृत्य हो जाता है जिससे आगामी रूप से कोई भी आदेश या कार्यवाही करने की शक्ति नहीं रहती है। मौजूदा प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वीकृत रूप से 28–3–2017 को अंतिम अभिनिर्णय पारित कर दिया था व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता सुभाषचन्द सोनी को देय मुआवजा निर्धारित कर दिया था जो कि आवासीय दर से अवाप्त भुखण्ड रकबे का मुआवजा अंतिम रूप से तय कर दिया था एंव जब अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवार्ड को रिओपन कर दिनांक 23–4–2019 को संशोधित अवार्ड पारित किया यह सभी कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 अधिकारिक कृत्य की स्थिति से ग्रसित हो जाने के कारण मुआवजा को बढ़ाने की कोई अधिकारिता नहीं अप्रार्थी संख्या–1 को प्राप्त नहीं थी। विधिअनुसार आक्षेपित कार्यवाही कर दिनांक 23–4–2019 को तद्नक्रम में जो मुआवजे मे वृद्धि की गई जो निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि सक्षम अधिकारी द्वारा अभिनिर्णय दिनांक 28–3–2017 के पारित करनेके पश्चात जो पत्र व्यवहार अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी से किया वह तदनुसार जो भी कार्यवाही की गई वह कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य है जिससे कोई विधिक हक व अधिकार अर्जित नहीं है। नगर परिषद द्वारा जारी कथित पट्टा दिनांक 25–4–2013 यदि वास्तव में अवाप्तशुदा आराजी से संबंधित था, उसक क्षेत्राधिकार से संबंधित था तो हितबद्ध व्यक्ति सुभाषचन्द सोनी द्वारा आपत्तियां प्रस्तुत करने के समय अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था। जबकि रेल्वे संशोधित अधिनियम 2008 अवाप्तिकरण में हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्ति करने का सम्पूर्ण अवसर प्रदान करता है। अवाप्तिकरण का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में किया जाता है उसके पश्चात भी अवाप्तिकरण की पूरी जानकारी होने पर भी किसी तरह की कोई आपत्ति अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता श्री सुभाषचन्द सोनी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष नहीं की गई। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा अभिनिर्णय दिनांक 28–3–2017 पारित किया गया । अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा आपत्ति नहीं किये जाने पर अभिनिर्णय पारित होने के पश्चात आपत्ति प्रस्तुत किया जाना विधि के अनुकूल नहीं है एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से क्षेत्राधिकार से बाहर अभिनिर्णय का परिवर्तन किया जाकर मुआवजा राशि में फेरबदल किया जाना विधिसंगत नहीं है। यदि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को मुआवजा राशि की प्रकृति को लेकर किसी तरह से संतुष्टि नहीं थी तो रेल्वे संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 20एफ(6) के अन्तग्रत मध्यस्थ के समक्ष याचिका प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित था बावजूद इसके भी अप्रार्थीगणों ने मध्यस्थ के समक्ष किसी तरह का क्लेम याचिका प्रस्तुत नहीं की। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का कथित अधिकार विधिक रूप से समाप्त हो चुका है मात्र अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष अवार्ड दिनांक 28–3–2017 जारी हो जाने के पश्चात दिनांक 8–9–2017 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने से पुनः जीवित नहीं हो जाता व परिसीमा विधि के अधीन सक्षम दीवानी न्यायालय से वर्णित पट्टे के संबंध में हकों की घोषणा कराया जाना आवश्यक था जो कार्यवाही प्रार्थीगण ने नहीं की है। अतः प्रार्थी का परिवाद स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो संशोधित अवार्ड दिनांक 23–4–2019 को नियमित तैयार कर तद्नुसार मुआवजा राशि 9,32,576/– रूपये दिया है वह अस्वीकार कर निरस्त किये जावे व संशोधित क्षेत्रफल के अनुसार आवासीय दर से मुआवजा निर्धारित किये जाने के आदेश पारित किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या–1 प्राधिकृत भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ जिला अजमेर से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में लिखित में प्रतिउत्तर प्राप्त किया गया जिसमें उल्लेखित है कि किशनगढ रेल्वे स्टेशन की पहुंच हेतु अप्रोच रोड के लिए अवाप्त की गई भूमि से संबंधित तथ्य है। परन्तु इस चरण में अंकित यह कथन कि अवाप्तशुदा भूमि आवासीय प्रकृति की है गलत एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार है। वास्तव में अवाप्त की गई भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 महेन्द्र सोनी व दीपक सोनी के पिता स्व0 सुभाष चन्द सोनी की एक व्यवसायिक भूमि है इसलिए इस अवाप्तशुदा भूमि को आवासीय प्रकृति का अंकित किया जाना सही नहीं है।

उनका यह भी तर्क है कि अवाप्तशुदा भूमि व्यवसायिक प्रयोजनार्थ थी उसके उपरान्त भी भूल एवं सहवनवश आवासीय भूमि की गणना कर जो मुआवजा राशि तय की गई थी वह सही नहीं थी क्योंकि अवाप्तशुदा भूमि व्यवसायिक थी और इस संबंध में दिनांक 2–4–2019 को डीएफसीसी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में एक संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट भी तैयार की गई थी उसके आधार पर स्पष्ट है कि अवाप्तशुदा भूमि व्यवसायिक प्रकृति की थी। इस संबंध में दिनांक 29–3–2019 को एक पत्र जारी करते हुए संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट तैयार करने की भी सूचना प्रस्तुत की गई थी उसी के परिपेक्ष्य में दिनांक 2–4–2019 को संयुक्त मौका रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसी आधार पर प्रार्थी डीएफसीसी ने उत्तरदाता भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी किशनगढ का एक पत्र क्रमांक जेपी/ईएन/भूमि अवाप्ति/एयरफोर्स रोड(केएसजी)आईसआर–स्टेशन/13 दिनांक 8–4–2019 प्रेषित करते हुए संशोधित अवार्ड भिजवाने का उल्लेख किया और इसी क्रम में दिनांक 23–4–2019 को संशोधित अवार्ड अनुमोदनार्थ डीएफसीसी को प्रस्तुत किया गया।

उनका यह भी तर्क है कि सक्षम अधिकारी के समक्ष इस कार्यालय में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने अवाप्तशुदा भूमि का व्यवसायिक दर से मुआवजा प्रदान किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था और उसी के परिप्रेक्ष्य में तथा डीएफसीसी द्वारा प्रस्तुत किये गये पत्र दिनांक 8–4–2019 के परिपेक्ष्य में ही संशोधित अवार्ड अनुमोदनार्थ डीएफसीसी कार्यालय में प्रेषित किया गया था। प्रार्थी के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाता के कार्यालय में सम्पर्क कर किसी प्रकार का कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। प्राथी डीएफसीसी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 8–4–2019 से भी विरोधाभासी है। दिनांक 8–4–2019 के पत्र में स्वयं डीएफसीसी ने ''संशोधित अवार्ड भिजवाने का श्रम करे'' का अंकन करते हुए इस कार्यालय को पत्र प्रेषित किया था उसके उपरान्त भी प्रार्थी ने विरोधाभासी अंकन कर माननीय न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है।

उनका यह भी तर्क है कि सक्षम अधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अपनाई गई समस्त प्रक्रिया पूर्णतः विधिसम्मत एवं स्वयं डीएफसीसी के पत्र दिनांक 8–4–2019 के अनुरूप ही है इसलिए डीएफसीसी अपने पूर्व में किये गये कथनों से परे जाने की अधिकारिणी नहीं है। उत्तरदाता भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा जो संशोधित अवार्ड अनुमोदनार्थ प्रस्तत की गई है वह विधिसम्मत प्रक्रिया एवं दस्तावेजी रेकार्ड के अनुरूप ही प्रेषित किया गया है। प्रार्थी ने रेल अधिनियम की धरा 20 एफ(8)(ए)के उपबन्धों का गलत अर्थ निकालने का प्रयास किया है।

उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी अवाप्त अवार्ड की राशि को घटाने के लिए उचित आधार नही है। संशोधित मुआवजा राशि 9,32,576/–का अवार्ड अनुमोदनार्थ डीएफसीसी के स्वयं के पत्र दिनांक 8–4–2019 के परिप्रेक्ष्य में ही प्रस्तुत किया गया है। इस उत्तरदाता कार्यालय ने समस्त कार्य अपने क्षेत्राधिकार

के अधीन विधिक प्रक्रिया का सम्यक ध्यान रखते हुए ही किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र. विधि के परिप्रेक्ष्य में निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की उक्त बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन कर सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया। जिससे प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट होते है कि सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा भारतीय रेल्वे संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 20ई के अन्तर्गत विभिन्न खसरों से भूमि अवाप्ति के अर्जन की घोषणा हेतु अधिसूचना का–आ/2362(अ) राजपत्र में दिनांक 8–7–2016 को प्रकाशित की गई। जिसका राजस्थान पत्रिका व दैनिक भास्कर में 2–8–2016 को प्रकाशन किया गया। सक्षम अधिकारी द्वारा परिवादीगण को अवाप्त भूमि खसरा नम्बर 84/2 का क्षैत्रफल 0.0809 हैक्टर का संयुक्त सर्वेक्षण के अनुसार अधिगृहित रकबा मात्र 0.00461728 हैक्टर अधिगृहित किया गया, का मुआवजा वर्तमान प्रकाशन दिनांक को जो डीएलसी दर निर्धारित थी, के अनुसार मुआवजा 3,41,870/– निर्धारण कर अवार्ड दिनांक 28–3–2017 जारी किया गया था। चूंकि वास्तव में अवाप्त की गई भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 महेन्द्र सोनी व दीपक सोनी के पिता स्व0 सुभाष चन्द सोनी की एक व्यवसायिक भूमि है इसलिए इस अवाप्तशुदा भूमि को आवासीय मानना विधिसम्मत नहीं है। क्योंकि सक्षम अधिकारी द्वारा अवाप्त भूमि का अवार्ड दिनांक 28–3–2017 को जारी किया गया है एवं आयुक्त नगरपरिषद्, किशनगढ़ द्वारा दिनांक 24–4–2013 को ही श्री सुभाष चन्द सोनी पुत्र श्री भगवान स्वर्णकार के पक्ष में राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा जारी किया गया है। उक्त पट्टे की शर्त संख्या 4 में उल्लेखित है कि उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल व्यवसायिक प्रयोजन के लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गई है, के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा। इससे स्पष्ट है कि अवाप्तशुदा भूमि की किस्म आवासीय न होकर व्यवसायिक ही है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से सिद्ध है कि अवाप्त भूमि की किस्म व्यवसायिक ही है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सक्षम अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि की किस्म व्यवसायिक प्रयोजनार्थ थी उसके उपरान्त भी भूलवश आवासीय भूमि की गणना कर जो मुआवजा राशि तय की गई थी वह सही नहीं थी क्योंकि अवाप्तशुदा भूमि व्वसायिक थी और इस संबध में दिनांक 2–4–2019 को डीएफसीसी के पदाधिकारियों की मौजूदगी में एक संयुक्त मौका जांच रिपोर्ट भी तैयार की गई थी उसके आधार पर स्पष्ट है कि अवाप्तशुदा भूमि व्यवसायिक प्रकृति की थी। प्रार्थी डीएफसीसी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 8–4–2019 से भी विरोधाभासी है। स्वयं डीएफसीसी ने अपने पत्र क्रमाक 13 दिनांक 8–4–2019 के द्वारा पत्र में ''संशोधित अवार्ड भिजवाने का श्रम करे'' का अंकन करते हुए इस कार्यालय को पत्र प्रेषित किया था इसी क्रम में दिनांक 23–4–2019 को संशोधित अवार्ड अनुमोदनार्थ डीएफसीसी को प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी को अवाप्त अवार्ड की राशि को घटाने के

लिए उचित आधार नही है क्योंकि अवाप्त भूमि की किस्म व्यवसायिक है और संशोधित मुआवजा राशि 9,32,576/–का अवार्ड अनुमोदनार्थ डीएफसीसी के स्वयं के पत्र दिनांक 8–4–2019 के परिप्रेक्ष्य में ही प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ ने भूमि अवाप्ति संबंधी समस्त कार्य अपने क्षेत्राधिकार के अधीन पूर्ण विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए ही किया है जो विधिसम्मत है। ऐसी स्थिति में प्राधिकृत भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित संशोधित अवार्ड दिनांक 23–4–2019 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकर से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का आर्बीटेशन परिवाद प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और प्राधिकृत भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 23–4–2019 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

पंचाट/निर्णय आज दिनांक 25–7–2023 को मध्यस्थ द्वारा पारित किया गया।

(सी0आर0मीना)
मध्यस्थ एवं
संभागीय आयुक्त,
अजमेर